

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 136/2025

दायर दिनांक: 04.08.2025

उनवान

1. ललताबाई पुत्री रामनारायण जाति धाकड नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल
 2. अनोखबाई पुत्री रामनारायण जाति धाकड नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल
- प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड
 2. बालचन्द पि. रामनारायण जाति धाकड नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल
 3. देवबाई पुत्री रामनारायण जाति धाकड नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल
 4. सजनबाई बेवा रामनारायण जाति धाकड नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

दिनांक : 17/10/2025


प्रार्थीगण ललताबाई, अनोखबाई पुत्री रामनारायण जाति धाकड नि. खांदलखेडी तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड, ललताबाई का आधार कार्ड (747828618172), ललताबाई का रा.उ.प्रा.वि. खांदलखेडी का स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, ललताबाई भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (TAH161117), पेनकार्ड (FPRPB2027F), अनोखबाई का आधार कार्ड (737833286490), अप्रार्थी सं. 2 से 4 का स्वीकारात्मक जवाब मय शपथपत्र, ग्राम पंचायत सामरिया का प्रमाण पत्र किता 2 दिनांक 07.10.2025, ग्राम खांदलखेडी का नामा.सं. 555 दिनांक 16.01.2013 एवं तहसीलदार सुनेल की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1255 दिनांक 06.10.2025 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम



✓

खांदलखेडी प0म0 सामरिया तहसील सुनेल की जमाबन्दी सं. 2072-75 के खाता संख्या 137 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थीगण के नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है -


क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/ तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम खांदलखेडी प0म0 सामरिया तहसील सुनेल	137	कालीबाई पुत्री रामनारायण शांतीबाई पुत्री रामनारायण	ललताबाई उर्फ कालीबाई पुत्री रामनारायण अनोखबाई उर्फ शांतीबाई पुत्री रामनारायण


उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

दिनांक 17/10/2025

क्रमांक:- राजस्व/2025/136

प्रतिलिपी - तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।


उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0